न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/278/2016

उनवान

1. हजारी सिंह पिता मान सिंह रावत निवासी मावला पटवार हल्का मोगर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 78/15 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का मोगर तहसील बदनोर तत्कालीन तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में कृषि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रयोजनार्थ भूमि दिनांक 15.1.1983 को साबिक बिलानाम आराजी नम्बर 202 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का आवंटन हुआ तथा उसके उपरान्त दिनांक 20.5. 1985 को पुनः शेष बची बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 202 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा में से वादी को 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ । तद्नुरूप तत्कालीन काश्तकार ने आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर काबिज होकर सभी राजस्व नियमों का पालन करते हुए काश्त करना शुरू कर दिया तथा कब्जाकाश्त निरन्तर जारी है। उक्त आवंटन दिनांक 15.1.1983 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 228 के जरिये वादी को साबिक आराजी नम्बर 202 रकबा 13 बीघा में से 9 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि बट्टा आराजी नम्बर 518/202 में गैर खातेदार के रूप में कायम कर दिया । दौराने सेटलमेण्ट राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त आराजी नम्बर 202 के नवीन नम्बर 441 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 447 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 459 रकबा 1.20 है0, कायम किये जो कि मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था परन्तु उपरोक्त बट्टा नम्बर के कोई भी नवीन नम्बर मिलान क्षेत्रफल में अंकित नहीं किये । सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने नवीन आराजी नम्बर में से आराजी नम्बर 439 रकबा 1.20 है0 भूमि में से बटा नम्बर कायम करते हुए आराजी नम्बर 1142/439 रकबा 0.56 है0 को तो वादी के खाते में दर्ज कर दिया शेष आराजी नम्बर 439 मी. कायम करते हुए रकबा 0.64 है0 को पुनः बिलानाम के रूप में दर्ज कर दिया । जबकि सेटलमेण्ट के दरमियाद तथा वर्तमान तक उक्त भूमि बहैसियत आवंटी के रूप में वादी काबिज चला आ रहा है। सेटलमेण्ट विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक अधिकार के आवंटित रकबे 0.64 को बिलानाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्ज कर दिया। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर हाल आराजी नम्बर 439 मी रकबा 0.64 है0 में वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, आसीन्द के यहॉ वाद पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 1.4.2015 को उपखण्ड अधिकारी बदनौर के यहॉ मुन्तकिल किया गया जहॉ पर तारीख पेशी दिनांक 16.4.2015 नियत की गई। उक्त नियत तारीख से पूर्व ही दिनांक 1.4.2015 को पत्रावली सिगह से न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। और राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत दिनांक 25.5.2015 के लिए नियत कर दी गई। दिनांक 25.5.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ओज्याडा पर अपीलार्थी उपस्थित अवश्य हुआ था किन्तु उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय ने अपीलार्थी को कहा कि तुम हाजरी बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर कर दो जिस पर अपीलार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए केवल मात्र हाजरी बाबत हस्ताक्षर किये इसके पश्चात अपीलार्थी को कहा कि कैम्प के बाद तारीख अपने वकील साहब से नोट कर लेना । अपीलार्थी ने उसके बाद दिनांक 1.9.2016 को अपने वकील साहब से प्रकरण में तारीख पेशी के लिए पता किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण तो कैम्प में ही निस्तारित हो गया था। तब जाकर अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। उसके उपरान्त अपीलार्थी ने नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 8.9.2016 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को मौजा ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का मोगर तहसील बदनौर तत्कालीन तहसील आसीन्द में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि साबिक आराजी नम्बर 202 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा में से दिनांक 15.1.1983 को 4 बीघा भूमि का आवंटन हुआ तथा उक्त आवंटन के उपरान्त दिनांक 20.5.1985 को पुनः इसी शेष बची बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 202 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ । अपीलार्थी/आवंटी आवंटन के समय से ही आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आवंटन दिनांक 15.1.1983 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 228 द्वारा 4 बीघा भूमि का राजस्व रेकार्ड में 528/202 के रूप में गैर खातेदार दर्ज किया गया । उसके पश्चात द्वितीय बार हुए 5 बीघा भूमि के आवंटन दिनांक 20.5.1985 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 248 द्वारा आराजी नम्बर 202 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि के बट्टा नम्बर 513/202 कायम कर गैर खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया ।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दौराने भू प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों ने साबिक आराजी नम्बर 202 के नवीन नम्बर 441 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 447 रकबा 0.07

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है0, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 459 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 460 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 439 रकबा 1.20 है0 कायम किये जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है। परन्तु उपरोक्त बटा नम्बर के कोई भी नवीन नम्बर मिलान क्षेत्रफल में अंकित नहीं किये गये । दौराने भू प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त नवीन आराजी नम्बर 439 मी. रकबा 1.20 है0 भूमि मे से बट्टा नम्बर कायम करते हुए आराजी नम्बर 1142/439 रकबा 0.56 है0 को तो अपीलार्थी के खाते में दर्ज कर दिया तथा शेष आराजी नम्बर 439 मी. कायम करते हुए रकबा 0.64 है0 को पुनः बिलानाम के रूप में दर्ज कर दिया । जबकि सेटलमेण्ट के दरमियान तथा वर्तमान तक उक्त भूमि पर आवंटी काबिज काश्तकार चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान बिना किसी विधिक अधिकार के 0.64 है0 को बिलानाम दर्ज कर दिया गया । जिसका सेटलमेण्ट विभाग के कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

7. अपीलार्थी/वादी ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय में समुचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि नवीन आराजी नम्बर 439 मी. रकबा 0.64 है0 भूमि अपीलार्थी को आवंटित होकर उसके कब्जे काश्त वाली भूमि से ही बना है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि मिलान क्षेत्रफल में साबिक एवं हाल नम्बर का मिलान नहीं हो रहा है एवं न ही कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है वाद पत्र खारिज कर दिया । जबकि अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने कथनों को साबित कराया है। अपीलार्थी का कमी रकबा हाल आराजी नम्बर 439 मी. रकबा 0.64 है0 से ही बनता है जिस पर अपीलार्थी काबिज है। अपीलार्थी ने अपनी सम्पूर्ण आराजी के चारों और थोहर की बाड लगा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रखी है। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा खसरा मिलान में रखी गई त्रुटि का दण्ड अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता पूर्वक अध्ययन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.5.2016 को मनमकसूद तरीके से जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी की जानकारी के बिना ही मनमर्जी से अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं बहस सुने जाने का अंकन कर दिया व जल्दबाजी में उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधिनस्थ न्यायालय से सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 439 मी. रकबा 0.64 है0 का अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह असत्य है। अपीलार्थी स्वयं अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने की दिनांक 25.52015 को उपस्थित था। उसके उपस्थिति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अपने कथनों की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है जिससे यह तथ्य साबित हो कि साबिक नम्बर के हाल आराजी नम्बर 439 मी. रकबा 0.64 है0 कायम किये गये हों। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का मोगर तहसील बदनोर तत्कालीन तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दिनांक 15.1.1983 को साबिक बिलानाम आराजी नम्बर 202 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का आवंटन हुआ तथा उसके उपरान्त दिनांक 20.5.1985 को पुनः शेष बची बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 202 रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा में से वादी को 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ । जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया । उसके उपरान्त दौराने सेटलमेण्ट राजस्व कर्मचारियों ने साबिक आराजी नम्बर 202 के नवीन नम्बर 441 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 447 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 459 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 460 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 439 रकबा 1.20 है0 कायम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये जो कि मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था परन्तु उपरोक्त बट्टा नम्बर के कोई भी नवीन नम्बर मिलान क्षेत्रफल में अंकित नहीं किये । सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने नवीन आराजी नम्बर में से आराजी नम्बर 439 रकबा 1.20 है0 भूमि में से बटा नम्बर कायम करते हुए आराजी नम्बर 1142/439 रकबा 0.56 है0 को तो वादी के खाते में दर्ज कर दिया शेष आराजी नम्बर 439 मी. कायम करते हुए रकबा 0.64 है0 को पुनः बिलानाम के रूप में दर्ज कर दिया ।

12. रिकार्ड से यह तो स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को आराजी नम्बर 202 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके बटा नम्बर 518/202 एवं उसके उपरान्त आराजी नम्बर 202 में से बचे शेष रकबे 9 बीघा 09 बिस्वा में से 5 बीघा का आवंटन किया गया जिसके बटा नम्बर 513/202 रकबा 5 बीघा कायम किये जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया । जिसकी पुष्टि जमाबंदी खतौनी संवत 2033 से 2036 के अवलोकन से होती है। परन्तु आवंटन से शेष रही भूमि 4 बीघा 09 बिस्वा का क्या हुआ, व इसके क्या नये खसरा नम्बर बने यह अपीलाण्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया हें

13. अपीलार्थी द्वारा जो मिलान खसरा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार साबिक साबिक आराजी नम्बर 202 के नवीन नम्बर 441 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 447 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 459 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 460 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 439 रकबा 1.20 है0 कायम किये है। परन्तु मिलान क्षैत्रफल अपूर्ण प्रदर्शित है । साबिक खसरा नम्बर से बने समस्त खसरा नम्बरान का अंकन मिलान क्षैत्रफल में नहीं है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को हाल आराजी नम्बर 441 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 442 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 447 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 448 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 459 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 460 रकबा 0.03 है0, एवं 1142/439 रकबा 0.56 है कुल किता 7 रकबा 1.08 है0 का खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि हाल आराजी नम्बर 439 मी. कुल रकबा 1.20 में से 1142/439 रकबा 0.56 है तो वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु हाल आराजी नम्बर 439 मी में से शेष रकबा 0.64 है0 का अपीलार्थी को खातेदार घोषित किया जावे। परन्तु साबिक खसरों का हाल खसरा नम्बरों से मिलान हेतु प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल के आधार पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, अतः उपरोक्तानुसार निष्कर्षण किया जाना उचित नहीं है। अपीलाण्ट का स्वयं का कथन है कि 13 बीघा 9 बिस्वा कुल भूमि साबिक खसरा नम्बर 202 में से 9 बीघा आवंटन हुई है, तथ 4 बीघा 9 बिस्वा बिलानाम शेष हैं । अतः हाल खसरा नम्बर 439 मि. 0.64 है0 भूमि जो बिलानाम दर्ज है , वह साबिक खसर नम्बर 202 मि. रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा से नहीं बनी हो, ऐसा अपीलाण्ट साबित नहीं कर सके हैं। अपना पक्ष साबित करने का भार अपीलाण्ट पर था जिसमें वे असफल रहे हैं।

15. अपीलार्थी द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है उससे यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी को आवंटित आराजी नम्बर नम्बर 202 एवं उसके समस्त बटा नम्बर के संकलित नवीन नम्बर क्या बने हैं। साबिक आराजी नम्बर 202 मि. रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा के नये नम्बरों के विवचेन के बिना अपीलाण्ट के कथन की ताईद किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी इस तथ्य को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भलीभॉति साबित नही कर पाया है। अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 439 मी में से शेष रकबा 0.64 पर काबिज है। इसके सबंध में भी अपीलार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है एवं न ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। जिस वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 439 मी रकबा 0.64 पर अपीलार्थी अपना कब्जाकाश्त बताता है वह जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में बिलानाम दर्ज रेकार्ड है।

16. न्यायालय हाजा में भी अपीलार्थी अपने वाद पत्र में अंकित कथनों को पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं करा पाया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य पाई जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कर यह माना है कि साबिक एवं हाल नम्बर का मिलान, मिलान क्षैत्रफल से नहीं हो रहा है एवं इस बाबत कोई दस्तावेज भी रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।जिससे यह साबित नही होना माना है कि हाल आराजी नम्बर 439 मी0 किस साबिक आराजी नम्बर से बने हैं। हाल आराजी नम्बर 439 रकबा 0.64 मि. जिसकी वादी खातेदारी चाहता है वह राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है। जिसकी पुष्टि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2066 से 2069 से भी होना माना है। वादी ने कब्जे बाबत भी कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया । अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है । जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

17. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/278/2016

उनवान

1. हजारी सिंह पिता मान सिंह रावत निवासी मावला पटवार हल्का मोगर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 78/15 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.5.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/278/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनौर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 18.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री संजय सेन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 18.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

18/6/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस